मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल- 462 016 (म.प्र.)
Tel: 0755-2464428,2466191 Fax: 0755-2463742

क्रमांक 476 /मॉनि.शा./प्रनिबो/2017 भोपाल, दिनांक 26/12/17

विषयः– प्रयोगशाला प्रभारियों की समीक्षा बैठक दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 का कार्यवाही विवरण।

सदस्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड की प्रयोगशालाओं में संपादित कार्यो की समीक्षा बैठक दिनांक 12.12.2017 को मुख्यालय में संपादित हुई। कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. आंचलिक अधिकारी अपनी अधीनस्थ प्रयोगशालाओं का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।
2. प्रयोगशालाओं की किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए प्रयोगशाला प्रभारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
3. प्रयोगशाला प्रभारी स्वयं माह के तीसरे सोमवार को प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग संपादित करेंगे।
4. प्रयोगशाला प्रभारियों को तकनीकी शाखा से संबंधित कार्यो से मुक्त रखा जावें।
5. प्रयोगशाला स्टॉफ प्राथमिकता के आधार पर सेम्पलिंग, विश्लेषण एवं प्रयोगशाला संबंधित सभी कार्यो को संपादित करेंगे।
6. क्षेत्रीय प्रयोगशाला सतना तथा गुना के प्रभारी की अनुपस्थिति पर सदस्य सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

<u>नर्मदा सेवा मिशन–</u>

बोर्ड द्वारा नर्मदा सेवा मिशन के तहत् निर्धारित **भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य** का **एक्शन प्लान तैयार** कर कार्यवाही की जा रही है, जिसकी समीक्षा माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रतिमाह की जाती है। अतः समय–सीमा में जानकारी मुख्यालय को भेजा जाना आवश्यक है।

7. नर्मदा सेवा मिशन के तहत् नर्मदा नदी के जल नमूनों का एकत्रिकरण प्रतिमाह की 05 तारीख को 12 बजे एक साथ किया जाना सुनिश्चित करें।
8. जल नमूनों में फीकल कोलीफार्म एवं टोटल कोलीफार्म आवश्यक रूप से किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। प्रेषित जल गुणवत्ता रिपोर्ट को आई.एस.–2296 की श्रेणी से तुलना कर भेजी जावें।
9. मुख्यालय के पत्र क्रमांक 1778/नर्मदा/प्रनिबो/दिनांक 15.06.2017 अनुसार निर्धारित त्रिमाही, छैमाही, एक वर्ष एवं तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के प्रगति प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण–पत्र की जानकारी मुख्यालय को उपलब्ध करायें।
10. एन.जी.टी. केस क्रमांक 139 की 04 जनवरी, 2018 को सुनवाई है, अथवा नर्मदा नदी के क्षेत्रों में कार्य की फोटो एवं किये गये कार्यो की जानकारी 25 दिसम्बर, 2017 तक मुख्यालय को अवश्य भिजवायें।

11. नर्मदा के किनारे स्थित शहरों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता, वाहन उत्सर्जन एवं ध्वनि स्तर की मॉनिटरिंग माह के प्रथम सप्ताह में की जायें।
12. नर्मदा सेवा मिशन के अन्तर्गत जन–जागृति के कार्यक्रम/वॉल राइडिंग के गुणवत्ता स्तर को सुधारा जावें।

<u>प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग</u>

13. नदियों के सेम्पलिंग की दिनांक एवं समय निश्चित होना चाहिए। यदि किसी बिन्दु की सेम्पलिंग माह की 10 तारीख को 02 बजे की जाती है, तो प्रतिमाह उसी दिनांक एवं समय पर सेम्पलिंग की जावें।
14. प्राकृतिक जल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता आंकलन हेतु वर्ष में दो बार 29 सामान्य प्रचालकों 09 भारी धातु 15 पेस्टीसाइड का विश्लेषण किया जाना अवश्य किया जायें।
15. श्री आर.के. जैन, कनिष्ठ वैज्ञानिक, ग्वालियर को गुना प्रयोगशाला का प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गये। आंचलिक अधिकारी, ग्वालियर द्वारा गुना क्षेत्र की मॉनिटरिंग कार्यो को संपादित करवाएगें।
16. क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, छिंदवाड़ा तथा देवास मूर्ति विसर्जन के पूर्व, दौरान एवं एक सप्ताह पश्चात के डाटा भारी धातु के परिणामों के साथ मॉनिटरिंग शाखा को 07 दिनों में उपलब्ध करायें।

<u>केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना</u>

17. एन.ए.एम.पी. स्टेशन में 11 प्रचालकों का विश्लेषण किया जाना सुनिश्चित करें, एवं वर्ष में 104 दिवस की मॉनिटरिंग आवश्यक रूप से करें।
18. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के एक एन.ए.एम.पी. स्टेशन पर परिवेशीय वायु मापन का कार्य सप्ताह में 07 दिन किया जाना सुनिश्चित करें।
19. प्रतिदिन ए.क्यू.आई. केलकुलेटर के डाटा 3.30 बजे तक मॉनिटरिंग शाखा को ई–मेल द्वारा प्रेषित करें।
20. एन.डब्ल्यू.एम.पी. बिन्दुओं की सेम्पलिंग माह के द्वितीय सप्ताह तक आवश्यक पूर्ण की जाये तथा प्रोटोकॉल अनुसार प्रचालकों का विश्लेषण करें।
21. डब्ल्यू.क्यू.आई.केलकुलेटर में चारों प्रचालक डी.ओ., बी.ओ.डी. फीकल एवं टोटल कोलीफार्म का विश्लेषण कर डाटा की प्रविष्टि प्रयोगशाला प्रभारी द्वारा स्वंय की जायें।
22. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइड पर **EAQDES/ EWQDES** में डाटा एन्ट्री माह के प्रथम सप्ताह में प्रयोगशाला प्रभारी स्वयं करेंगे।
23. क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा के प्रयोगशाला से संबंधित कार्यो के संपादन के संबंध में सदस्य सचिव, क्षेत्रीय अधिकारी से चर्चा करेंगे।
24. क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रदाय किये गये कार्बन मोनोऑक्साइड एनालाइजर से एक एन.ए.एम.पी. स्टेशन पर मॉनिटरिंग प्रारम्भ कर सभी 12 पैरामीटर के डाटा भेजें जायें।

वाहन उत्सर्जन/ध्वनि स्तर मापन

25. वाहन उत्सर्जन मापन के दौरान निर्धारित मानक सीमा से अधिक उत्सर्जन करने वाले वाहनों की पृथक सूची रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ प्रतिमाह मॉनिटरिंग शाखा को भेजने के निर्देश दिये गये। जिससे मुख्यालय स्तर पर परिवहन आयुक्त को जानकारी प्रेषित की जा सके।
26. दीपावली –2017 के दौरान की गई ध्वनि स्तर/परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग के परिणाम के.प्र.नि.बो. के निर्धारित प्रपत्रों की सॉफ्ट कापी में ई–मेल द्वारा के.प्र.नि.बो. को तथा प्रतिलिपि मॉनिटरिंग शाखा को 07 दिन के अंदर प्रेषित करें।

केन्द्रीय प्रयोगशाला

27. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भेजे जाने वाले सैम्पल दोपहर 12.00 बजे तक केन्द्रीय प्रयोगशाला को भेजा जाना सुनिश्चित करें।
28. प्रोजेक्ट प्रस्ताव हेतु आवश्यक फार्मेट केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सभी क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रभारी प्रोजेक्टस प्रस्ताव शीघ्र भेजें।
29. फ्री अमोनिया प्रचालक विश्लेषण हेतु विधि केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

कय शाखा

30. प्रयोगशाला प्रभारी उपकरणों तथा केमीकल की रिक्वॉयरमेन्ट दो दिन में आवश्यक रूप से कय शाखा को भेजें।
31. आगामी वर्ष हेतु उपकरण/रसायन कय हेतु आवश्यक कार्यवाही कय शाखा द्वारा प्रकिया में है।

राज्य शासन से प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र

32. राज्य शासन से प्राप्त अनुदान के तहत् किये जाने वाले कार्यो का उपयोगिता प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से प्रतिमाह की 05 तारीख तक भेजा जाना सुनिश्चित करें। क्योंकि शासन द्वारा इसी के आधार पर राशि का आंवटन किया जाता है।

(डॉ. रीता कोरी)
मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी

पृ.क. 477 /मॉनि.शा./प्रनिबो/2017 भोपाल, दिनांक 26/12/17

प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव, अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
2. समस्त शाखा प्रभारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/प्रयोगशाला प्रभारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. प्रभारी, आईटी शाखा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर अपलोड करने हेतु।